



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06052026-272272
CG-DL-W-06052026-272272

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 26—मई 2, 2026, शनिवार/वैशाख 6—वैशाख 12, 1948
No. 15] NEW DELHI, APRIL 26—MAY 2, 2026, SATURDAY/VAISAKHA 6—VAISAKHA 12, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय
(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में उप निदेशक (विधि) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियमों को बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, उप निदेशक (विधि), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- वेतन मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. **भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हता आदि-** भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. **निरर्हता-** कोई व्यक्ति नहीं,-

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर चुका है अथवा संविदा कर चुका है जिसका पति/पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जो, जीवित पति अथवा पत्नी होने पर, किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर चुका है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परंतु केंद्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	क्या उक्त पद चयन पद है अथवा गैर-चयन पद है।	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक (विधि)।	1 (2026) *कार्यभार के अनुसार शिथिलनीय।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

भर्ती के मामले में, प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के वरिष्ठ लोक अभियोजक ने वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत क्षेत्रों में विहित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। टिप्पण: जहां कनिष्ठ कर्मियों पर, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मियों पर भी विचार किया जाए, परंतु उनकी योग्यता अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा से कम न हों और उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मियों के साथ जिन्होंने पहले से ही इस तरह की अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित): - केंद्रीय सरकार अथवा केंद्रीय सरकार की अभिकरण जैसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के विधि अधिकारी,- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -11 (रु. 67700-208700) में अथवा समकक्ष स्तर पर पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा के साथ; अथवा (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (रु. 56100-177500) या समकक्ष स्तर पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री; और	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष - अध्यक्ष; 2. महानिदेशक अथवा अपर महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य; 3. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(ii) आपराधिक मामलों के एडवोकेट के रूप में दस वर्षों का अनुभव वांछनीय अर्हता: (i) स्वापक मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ संबंधी मामलों के एडवोकेट के रूप में पांच वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति करने वालों पर विचार नहीं किया जाएगा। टिप्पण 2: केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होनी की अंतिम तारीख छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. I-12020/14/2023-एनसीबी-II]

वंदना चौधरी, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Narcotics Control Bureau)**

New Delhi, the 23rd April, 2026

G.S.R. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Law) in the Narcotics Control Bureau, under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Deputy Director (Law), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Law).	1 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-12 in the pay- matrix (Rs. 78800-209200).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Promotion: - Senior Public Prosecutor of Narcotics Control Bureau in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay-matrix with five years of regular service and has successfully completed two to four weeks of mandatory training in relevant fields as decided by the Competent Authority from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By Deputation (including short-term contract): - Law officers from Central Government or Central Government agencies like National Investigation Agency, Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: - Chairman of the Union Public Service Commission - Chairperson; - Director General or Additional Director General, Narcotics Control Bureau -Member; - Joint Secretary, Ministry of Home Affairs -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is Not necessary.

or Public Prosecutors of State Government or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised universities or recognised research institutions,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay-matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay-matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's Degree in Law from a recognised university; and (ii) with ten years' of practice as an Advocate conducting criminal cases. Desirable qualification: (i) with five years experience as an advocate conducting Narcotic Drugs and Psychotropic Substances cases. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. I-12020/14/2023-NCB-II]

VANDANA CHAUDHARY, Dy.Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग, सहायक निदेशक (गोपनीय), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में मुख्य सहायक निदेशक (गोपनीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, सहायक निदेशक (गोपनीय), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह या विवाह अनुबंध किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**— इन नियमों की ऐसी कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक निदेशक (गोपनीय)	03*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100- 177500 रु.)

चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
दो वर्ष	67% प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा, और 33% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसे विभागीय पर्यवेक्षक (गोपनीय) जिसने वेतन मैट्रिक्स (47600 – 151100 रु.) में स्तर 8 में चार वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने वर्गीकृत सूचना की संरक्षा और संवेदनशील सामग्री की सुरक्षा में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किए जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रु.) में स्तर 9 में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रु.) में स्तर 8 में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त संगठन में स्ट्रोंग रूम से संबंधित परीक्षण के प्रचालन में संवेदी पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणः

1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. पोषक(फीडर) श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधे पदोन्नति की लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर रहे व्यक्ति पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना		भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किए जाने की परिस्थितियाँ।
(12)		(13)
1.समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-		प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग;	- अध्यक्ष;	
(2) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग;	- सदस्य;	
(3) संयुक्त सचिव (गोपनीय शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग;	- सदस्य.	
2. समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित सदस्यों से बनी है:-		
(1) अपर सचिव (प्रशासन के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग;	- अध्यक्ष;	
(2) संयुक्त सचिव (प्रशासन के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग;	- सदस्य;	
(3) संयुक्त सचिव (गोपनीय शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग;	- सदस्य.	

[फा. सं. 39021/02/2024-पी.पी.(बी.1)]

जास्मीन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 27th April, 2026

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission, Assistant Director (Confidential), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Confidential) in the Union Public Service Commission, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Assistant Director (Confidential), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc .—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Director (Confidential).	03*(2026) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in the Pay Matrix (Rs. 56100-177500)

Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years.	67% by Promotion failing which by deputation (including short term contract) and 33% by Deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Departmental Supervisor (Confidential) with four years' regular service in Level 8 in the pay matrix (Rs.47600 – 151100) and have successfully completed two weeks' training in protecting classified information and security of sensitive material. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or recognised research institution or University or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 9 in the pay matrix (Rs.53100 – 167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600 – 151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and (ii) three years' experience relating to handling of sensitive materials in strong room operations or conduct of examinations in the Central Government or State Government or Union territory Administration or University or Government recognised research institution or statutory or autonomous organisation. Note: 1. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications. 2. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1.Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.
(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission;	
	- Chairman;

(2) Secretary, Union Public Service Commission;	- Member;	
(3) Joint Secretary (In-charge of Confidential Branch) Union Public Service Commission;	- Member.	
2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-		
(1) Additional Secretary (In-charge of Administration), Union Public Service Commission;	- Chairman;	
(2) Joint Secretary (In-charge of Administration), Union Public Service Commission;	- Member;	
(3) Joint Secretary (In-charge of Confidential Branch), Union Public Service Commission;	- Member.	

[F. No. 39021/02/2024-PP(B-I)]

JASMINE, Under Secy.

विधि मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 98.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर अपीलीय अधिकरण (वर्ग I और वर्ग II) भर्ती नियम, 1967 को, जहाँ तक उनका संबंध अधीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, आयकर अपीलीय अधिकरण में अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर अपीलीय अधिकरण, अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
अधीक्षक	6*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-7(44900-142400रु)

चयन पद अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेनन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेनन किया जाएगा।

(11)

वेतन मेट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रु) में के ऐसे कार्यालय अधीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासन और लेखा के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हकारी या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उपाध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण -अध्यक्ष 2. आयकर अपीलीय अधिकरण का कोई सदस्य -सदस्य 3. रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, आयकर अपीलीय अधिकरण -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/2020-प्रशा. III/(इ.150245)]

एन. नायक, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 17th April, 2026

G.S.R. 98.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Income Tax Appellate Tribunal (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967 in so far as they relate to the post of the Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Superintendent in Income Tax Appellate Tribunal, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income Tax Appellate Tribunal Superintendent (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. -No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay-matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Superintendent.	6*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 7 in the pay-matrix (Rs 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.	Promotion: From amongst Office Superintendents in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the field of administration and accounts. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Vice-President, Income Tax Appellate Tribunal -Chairperson; 2. One Member of Income Tax Appellate Tribunal -Member; 3. Registrar or Deputy Registrar, Income Tax Appellate Tribunal -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/1/2020-ADMIN-III/(E. 150245)]

N. NAYAK, Under Secy.